

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष— आशीष श्रीवास्तव,  
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1624 एवं 1625/दो/2013/ विरुद्ध आदेश, दिनांक 07.03.13 पारित द्वारा अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक-150 एवं 151/निग./2010-2011

- 1-हर्षवर्धन सिंह तनय श्री राजेन्द्र सिंह गौर
- 2-अनुज प्रताप सिंह तनय श्री राजेन्द्र सिंह गौर  
निवासी ग्राम जतारा तह0 जतारा जिला टीकमगढ़।

.....आवेदकगण

**विरुद्ध**

- 1-अशोक कुमार तनय हीरालाल गोस्वामी,
- 2-अम्बिका प्रसाद तनय गौरीशंकर द्विवेदी,  
दोनों निवासी जय स्तंभ के सामने पुराना बस स्टेण्ड,  
टीकमगढ़।

.....अनावेदकगण

श्री राजेन्द्र पटेरिया, अधिवक्ता आवेदकगण  
श्री राजेश सेन, अधिवक्ता अनावेदकगण,

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10.3.16 को पारित)




- 1/ यह निगरानी अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक-150 एवं 151/निग./2010-2011 में पारित दिनांक 07.03.2013 के विरुद्ध म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है ।
- 2./ प्रकरण का सारांश यह है कि अनावेदक गण द्वारा तहसीलदार टीकमगढ़ के आदेश दिनांक 6.12.07 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के समक्ष काफी लम्बे समय बाद दिनांक 15.12.2010 को प्रस्तुत की गयी जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 16.4.2011 में यह अंकित करते हुए कि "उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रकरण में अंतिम तर्क हेतु सहमत; प्रकरण अंतिम तर्क हेतु; अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण आहूत हो," प्रकरण सुनवाई हेतु स्वीकार किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश दिनांक 16.4.2011 के विरुद्ध निगरानी अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत निगरानी अपर कलेक्टर द्वारा अपने आदेश दिनांक 7.3.13 से अग्राह्य की गयी। अपर कलेक्टर के इसी आदेश दिनांक 7.3.13 के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।
- 3/ मैंने आवेदक पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने और अनावेदक पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को उनके मांगे अनुसार लिखित तर्क प्रस्तुत करने हेतु समय दिया । प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में प्रकरण के समस्त अभिलेखों का परिशीलन किया ।
- 4/ इस सबके आधार पर मैं यह पाता हूँ कि अपर कलेक्टर ने अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 7-3-13 से अनुविभागीय अधिकारी, जतारा के प्रकरण क्रमांक 38/अपील/09-10 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 16-4-11 से धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर विलंब माफ करते हुए प्रकरण को अंतिम तर्क हेतु नियत करने के निर्णय को यथावत रखा है । अपर कलेक्टर के आक्षेपित आदेश में निर्णय का आधार यह लिया गया है कि दिनांक 16-4-11 की अनुविभागीय अधिकारी की आदेश पत्रिका में उभयपक्ष अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर है, जिसे उन्होंने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की विलंब माफी हेतु सहमति होना मानते हुए निगरानी खारिज कर दी है । अपर कलेक्टर का यह आधार स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि केवल



आदेश पत्रिका पर हस्ताक्षर करने को विलंब माफी हेतु सहमति नहीं माना जा सकता । अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 16-4-11 में यह स्पष्टतः उभयपक्ष अधिवक्ता का अंतिम तर्क हेतु सहमत होना लिखा है, विलंब माफी हेतु सहमत होना नहीं । वैसे भी अनुविभागीय अधिकारी को अपने न्यायालय के प्रकरण में अंतिम तर्क सुनने के पहले धारा 5 (विलंब माफी) के आवेदन पर स्पष्ट एवं बोलता हुआ आदेश पारित करना चाहिए जिसमें वे उभयपक्ष के तर्कों और बिन्दुओं का हवाला लें और उनका निराकरण कर कारणों और आधारों सहित अपना निर्णय अभिलिखित करें । स्पष्टतः दिनांक 16-4-11 को प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत करने के पूर्व अनुविभागीय अधिकारी ने ऐसा कुछ नहीं किया है ।

5/ अतः यह निगरानी स्वीकार की जाती है, और अपर कलेक्टर, टीकमगढ का आक्षेपित आदेश दिनांक 7-3-13 और अनुविभागीय अधिकारी जतारा का आदेश दिनांक 16-4-11 निरस्त किए जाते हैं । साथ ही अनुविभागीय अधिकारी, जतारा को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 38/अपील/09-10 में धारा 5 के आवेदन पर स्पष्ट एवं बोलता हुआ आदेश पारित करें जिसमें वे उभयपक्ष के तर्कों और बिन्दुओं का हवाला लें और उनका निराकरण कर कारणों और आधारों सहित अपना निर्णय अभिलिखित करें ।

आदेश पारित  
पक्षकार सूचित हो ।  
अभिलेख वापस हो ।  
प्रकरण दा0द0 हो ।

 10.3.16

(आशीष श्रीवास्तव)

सदस्य

राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश  
ग्वालियर